

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

काशीपुर विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 निर्वाचन क्षेत्र 3 काशीपुर विधान सभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

काशीपुर विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012, 63 काशीपुर विधान सभा

निर्वाचन आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं हसीन खान पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मों रज़ा खान आयु 46 वर्ष

काशीपुर विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012, 63 काशीपुर विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कस्ती हूँ :-  
मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)

अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए  
अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत  
करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं कोई नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धारारें) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई लागू नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था लागू नहीं
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है लागू नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों)की धारा (धारारें) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान:- काशीपुर  
तारीख:- 07 जनवरी 2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर  
E. Singh

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/कस्ती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

काशीपुर स्थान पर आज तारीख 07 जनवरी 2012 को सत्यापित किया।

E. Singh